भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4396

उत्तर देने की तारीख: 19.03.2026

एनएसटीएफडीसी के माध्यम से जनजातीय उद्यमिता

†4396 श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री भोजराज नाग:
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से स्टार्ट-अपों के लिए रियायती ऋण से राज्य-वार और जिला-वार कितने जनजातीय उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) द्वारा आयोजित "आदि महोत्सव" की वर्तमान स्थिति क्या है और जनजातीय कारीगरों तथा स्वयं-सहायता समूहों की भागीदारी सहित ओएनडीसी और जीईएम जैसे प्लेटफार्मों पर ट्राइफेड के माध्यम से इसे वर्ष भर चलने वाले ई-कॉमर्स मॉडल में परिवर्तित करने की राज्य और जिला-वार स्थिति क्या है,

(ग) सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए स्थायी आजीविका प्रदान करने/सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-पूर्व, मध्य भारत और राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में "जनजातीय पर्यटन" विशेषकर होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और

(घ) इन पहलों के अंतर्गत सतत आय सृजन सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय उत्पादकों के विपणन लिंकेज, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) : जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन करने के लिए, स्वरोजगार

और आजीविका गतिविधियों को शुरू करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। इस की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान वर्ष में 13.03.2026 तक एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5.00	750
2	असम	5.00	341
3	छत्तीसगढ़	784.31	3439
4	गुजरात	2335.64	7831
5	हिमाचल प्रदेश	232.03	549
6	जम्मू और कश्मीर	1522.60	476
7	झारखंड	897.53	997
8	कर्नाटक	10.00	390
9	केरल	481.18	718
10	लद्दाख	779.41	86
11	मध्य प्रदेश	1872.10	1522
12	महाराष्ट्र	2032.77	1607
13	मणिपुर	22.70	20
14	मेघालय	433.09	1474
15	मिजोरम	4175.70	1487
16	ओडिशा	153.00	7524
17	तमिलनाडु	928.84	6183
18	तेलंगाना	5450.05	16773
19	त्रिपुरा	615.47	356
20	उत्तराखंड	50.44	9
21	पश्चिम बंगाल	1343.52	4412
	कुल	**24130.38**	**56944**

(ख): प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के तहत, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों सीधे बेचने, ग्राहकों के साथ बातचीत करने और जनजातीय संस्कृति, व्यंजनों और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु आदि महोत्सव जैसे प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान (फरवरी 2026 तक) दो आदि महोत्सव आयोजित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में आयोजित किए गए आदि महोत्सवों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

क्र. सं.	वर्ष	आयोजित आदि महोत्सव की संख्या	स्थान
1	2022-2023	2	इंदौर (15-27 नवंबर, 2022) और दिल्ली 16-27 फरवरी, 2023)
2	2023-2024	4	राउरकेला (7-16 अप्रैल, 2023), अहमदाबाद (24 अक्टूबर- 03 नवंबर, 2023), जमशेदपुर (7-20 अक्टूबर, 2023) और दिल्ली (10-18 फरवरी, 2024)
3	2024-2025	5	अहमदाबाद (13-20 अक्टूबर, 2024), चेन्नई (15-24 नवंबर, 2024), जयपुर (29 नवंबर - 08 दिसंबर, 2024), भोपाल (20-30 दिसंबर, 2024 और दिल्ली (16-24 फरवरी, 2025)

वास्तविक कार्यक्रमों के अतिरिक्त पूरे वर्ष विपणन को बढ़ावा देने के लिए, ट्राइफेड ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.tribesindia.com के माध्यम से अपनी डिजिटल पहुंच को सुदृढ़ किया है, जिसे 10 जून, 2025 को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ फिर से शुरू किया गया था। वर्तमान में, इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 6,000 उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए डिजिटल वाणिज्य (व्यापार) के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पर 1,339 जनजातीय उत्पादों को जोड़ा गया है।

(ग): माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया। इस अभियान में 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए 25 उपाय शामिल हैं। डीएजेजीयूए के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया ऐसा ही एक उपाय स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय गृह-प्रवास (होम स्टे) है। इस योजना के तहत, उत्तर-पूर्वी और मध्य भारत, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 1000 जनजातीय गृह-प्रवास (होम स्टे) के नए निर्माण के लिए प्रति इकाई 5 लाख रुपये तक, नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक और गांव समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

(घ): पीएमजेवीएम के तहत, ट्राइफेड विपणन संपर्कों को सुदृढ़ करने और वास्तविक दुकानों (आउटलेट्स), प्रदर्शनियों और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने (प्रचार करने) के लिए विभिन्न पहल करता है। जनजातीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादकों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए ओएनडीसी और ट्राइब्स इंडिया सहित ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर शामिल किया जा रहा है। जनजातीय उत्पादकों की टिकाऊ (सतत) आय सृजन करने में सहायता करने के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के सदस्यों के लिए मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण भी किया जाता है।
